

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक 33651 /

जबलपुर, दिनांक 18 / 07 - / 2018

IV-12-14/80 VII-O

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 निहित शर्तों एवं प्रावधान के अनुसार कॉलम नं. 3 की दिनांक से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	नाम एवं पद	गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति दिनांक
1	2	3
1.	श्री नरपत सिंह किराड़, सहायक ग्रेड-तीन	दिनांक 18.05.2018
2.	श्री कमलभान काछी, भृत्य	दिनांक 01.05.2018

सही/-

(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

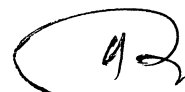
पृष्ठांकन क्रमांक 313462 /

जबलपुर, दिनांक 18 / 07 - / 2018

IV-12-14/80 VII-O

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
 2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. श्री नरपत सिंह किराड़, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. श्री कमलभान काछी, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)

